

कार्यालय निदेशक माध्यमिक राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:- उनि/सशि/विविध/एफ-502/पं-111/2017-18/S 2 दिनांक:- 08/08/2018

समस्त उपनिदेशक
माध्यमिक शिक्षा।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक(प्रथम/द्वितीय)

अति आवश्यक

विषय :-राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनुपयोगी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की नीलामी के संबंध में।

प्रसंग :-इस कार्यालय का समस्त संज्ञक पत्रांक 41 दिनांक- 20.04.2018 एवं शासन का पत्रांक प.6(1)वित्त/साविलेनि/ 015 पार्ट-I जयपुर दिनांक 21.06.2018

उपयुक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक रिजल्ट के क्रम में लेख है कि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जाता है। वितरित निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें सत्रपर्यन्त उपयोग के बाद, सत्रावसान पर प्राप्त कर नये सत्र में विद्यार्थियों को पुनः 50 प्रतिशत वितरित की जाती हैं। प्रायः देखा गया है कि कुछ विद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा कटी फटी पुस्तकें भी जमा करवा दी जाती हैं। यह कटी फटी पुस्तकें अनुपयोगी होने के कारण पुनः पढ़ने योग्य नहीं होती हैं। पाठ्यक्रम परिवर्तन के उपरांत अनेक विद्यालयों में अप्रचलित पाठ्यक्रम की अवितरित नई पुस्तकें भी शेष रह जाती हैं। ये निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी विद्यार्थियों हेतु अनुपयोगी हैं। इस प्रकार की पाठ्य पुस्तकें विद्यालयों में अनावश्यक स्थान/कक्ष घेरती हैं।

इन पुरानी जीर्ण शीर्ण एवं अप्रचलित पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तकों का निस्तारण करने के लिये GF & AR II के नियम 16 से 27 में नीलामी प्रक्रिया हेतु उक्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की पालना करते हुए दिनांक 30.06.2018 तक संपूर्ण नीलामी प्रक्रिया प्रासंगिक परिपत्र में प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप विद्यालय स्तर पर संपादित करने के निर्देश जारी किए गए थे। वित्त विभाग के आदेशानुसार नीलामी प्रक्रिया तिथि 30.09.2018 तक बढ़ा दी गई है। निर्धारित तिथि तक निस्तारण करने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रबोधन कि आवश्यकता है।

GF & AR II के नियम 17 एवं 18 के अनुसार अनुपयोगी/अप्रचलित घोषित करने के लिए संपूर्ण कारणों का उल्लेख करते हुए एस.आर.--5 एवं 6 में विवरण संधारित करें। नीलामी से प्राप्त राजस्व को विभागीय आय मान कर वित्तीय एवं लेखा नियमानुसार अभिलेख संधारित करते हुए माध्यमिक शिक्षा के राजस्व बजट मद में जमा करवाकर इस कार्यालय को दिनांक 07 अक्टूबर 2018 तक अवगत करावें। इस क्रम में अप्राकृत निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।

उपनिदेशक स्तर पर

1. अधीनस्थ जिले के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक की बैठक आयोजित कर अब तक की प्रगति एवं आगामी प्रक्रिया की योजना बनाकर नीलामी संबंधित कार्यवाही का प्रबोधन करेंगे।
2. यदि नीलामी संबंधित कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई है तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से कमेटी गठन की कार्यवाही सुनिश्चित करवाएंगे।
3. यदि नीलामी प्रक्रिया में कोई शंका/समस्या हो तो जिले के कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी से आवश्यक परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।

जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर

1. इस कार्य के लिए जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी का गठन करें। इस कमेटी में राजपत्रित अधिकारी, वरिष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष, कार्यालय में पदस्थापित लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी(प्रथम/द्वितीय), व लिपिकीय कार्य हेतु मंत्रालयिक कर्मचारी को भी नीलामी कमेटी में शामिल करेंगे। यदि कार्यालय में लेखा संवर्ग के अधिकारी पदस्थापित नहीं है तो जिला कोष कार्यालय से संपर्क कर सन्वित व्यवस्था करावें। यह कमेटी आवश्यक योजना बनाकर जिला स्तर पर नीलामी प्रक्रिया का प्रबोधन करेगी।

2. संस्थाप्रधानों को उक्त संबंध में तत्काल आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर, प्रबोधन किया जाए।
3. अधीनस्थ विद्यालयों में नीलामी प्रक्रिया प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप निर्धारित समय अवधि में सुनिश्चित करवाई जाए तथा संस्था प्रधानों से वाकपीठ एवं ब्लॉक नोडल केन्द्र पर प्रतिमाह आयोजित की जाने वाली मासिक बैठक में सूचनाएं अग्रांकित परिशिष्ट-1 एवं 2 में संकलित करें।
4. समस्त सूचनाएं ब्लॉक नोडल केन्द्र के माध्यम से संकलित करने के उपरांत जिला स्तर पर गठित कमेटी के माध्यम से नीलामी प्रक्रिया हेतु निविदा आमंत्रित कर प्रक्रिया पूर्ण की जाए।
5. निविदा आमंत्रित करते समय निविदा की सामान्य शर्तों के अंतर्गत यह अति आवश्यक रूप से शामिल किया जाए कि सफलतम निविदा दाता को प्रत्येक विद्यालय से स्वयं के स्तर पर नाकारा (अनुपयोगी/जीर्ण-शीर्ण) पाठ्य पुस्तकें उठानी होंगी।
6. गत शैक्षिक सत्रों में विद्यार्थियों के अध्ययन पश्चात जमा की गई जीर्ण-शीर्ण निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों एवं अप्रचलित पाठ्यक्रम की स्टॉक रजिस्टर के अनुसार पाठ्य पुस्तकों का निस्तारण सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों के इस कार्यालय के पत्र दिनांक 20.04.2018 के अनुसार बोली दाता से प्राप्त निविदा राशि को अग्रांकित मद में जमा करवाकर प्रमाण-पत्र प्रेषित किया जाए :-

राजस्व मद -

0202- शिक्षा, कला, संस्कृति

01- सामान्य शिक्षा

102- माध्यमिक शिक्षा

(02)- (पाठ्य पुस्तकों की प्राप्ति)

:: प्रमाण पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि जिले में अप्रचलित/अनुपयोगी/नाकारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का नियमानुसार शून्य-प्रतिशत निस्तारण जिला स्तर पर संपन्न करवा दिया गया है तथा प्राप्त राजस्व अखरे रूपये..... को दिशा-निर्देशानुसार बजट मद में जमा करवा दिया गया है। चालान की प्रति संलग्न है।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा.....

संस्था प्रधान स्तर पर (समस्त सूचनाएं जिला शिक्षा अधिकारी मा. को प्रेषित करें)

1. संस्था प्रधान विद्यालय में उपलब्ध अनुपयोगी/अप्रचलित/नाकारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों से संबंधित जीएफएंडएआर पार्ट-2 के प्रपत्र एसआर-5 व 6 में उपलब्धता एवं भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे साथ ही संलग्न परिशिष्ट-1 एवं 2 में सूचनाएं संकलित कर ब्लॉक नोडल केन्द्र पर आयोजित की जाने वाली मासिक बैठक में आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाएंगे।
2. जिस सत्र में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक अनुपयोगी हुई है, उस सत्र की नामांकन एवं प्रेषित मांग पत्र की कार्यालय प्रति की सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करेंगे।
3. वितरित की गई एवं अधिशेष रही पुस्तकें जो वर्तमान में अप्रचलित/अनुपयोगी/नाकारा घोषित की जा रही हैं, उनका सम्पूर्ण विवरण व तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत करेंगे।

जीर्ण-शीर्ण निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के लिए परिशिष्ट:-1

क्र.सं.	सत्र	अनुपयोगी/नाकारा पाठ्य पुस्तकों की संख्या	वजन(किलोग्राम)	विशेष विवरण


अप्रचलित पाठ्यक्रम की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के लिये

परिशिष्ट:-2

क्र. सं.	सत्र	कक्षा	नामांकन	विषय	प्रेषित मांग	प्राप्त निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें	वितरित निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें	अधिशेष रही पाठ्य पुस्तकों की संख्या	वजन(किलोग्राम)	अधिशेष रहने का कारण

विशेष:-विद्यालय में अप्रचलित पाठ्यक्रम की उपलब्ध पुस्तकों में से प्रत्येक विषय की एक प्रति पुस्तकालय में संधारित की जाए। यह पुस्तकें भविष्य में काम में पुस्तकों के रूप में काम आ सकती है।

4. अधिशेष अप्रचलित/अनुपयोगी/नाकारा अवितरित पुस्तकों के संबंध में संस्था प्रधान एवं संबंधित प्रभारी अपने स्तर पर निस्तारण हेतु किए गए प्रयासों की प्रतियां उपलब्ध करावें।
5. अप्रचलित/अनुपयोगी/नाकारा पुस्तकों की नीलामी/निस्तारण की इकाई किलोग्राम में होती है अतः उपलब्ध उक्तानुसार पुस्तकों का विद्यालय स्तर पर वजन करवाकर व सत्रवार अधिशेष रहीं पाठ्य पुस्तकों का बण्डल बनवाकर सही वजन प्रस्तुत करें ताकि नीलामी/निस्तारण की आवश्यक कार्यवाही जिला स्तर पर संपादित की जा सकें।


(प्रतिक शर्मा)

वित्तीय सलाहकार

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक - 301/210 / F-502/नो. III / विविधा / 2017-18 / 52 दिनांक 28-9-18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, श्रीमान शासन सचिव वित्त (बजट) राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निदेशक निरीक्षण विभाग राजस्थान जयपुर।
4. वरिष्ठ सम्पादक शिविरा, प्रकाशन कार्यालय हाजा, बीकानेर को शिविरा पत्रिका के अगले अंक में प्रकाशन बाबत।
5. आंतरिक जांच दल मा.शि. राजस्थान, बीकानेर।
6. रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com


उपनिदेशक

समाज शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कोटा

क्रमांक 963 -

दिनांक 30/8/18

समस्त संस्था प्रधान

मा.शि. उच्च वि
जिला कोटा

निदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही

हेतु पत्र उपरि उक्त निर्धारित प्राकृतिक सूचना तैयार
कर शीघ्र ही सहायक लेखाधिकारी कोटा को प्रस्तुत करें।


अति-जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) कोटा